

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप -खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1765]	नई दिल्ली, मंगलवार, जून 18, 2019/ज्येष्ठ 28, 1941
No. 1765]	NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 18, 2019/JYAISTHA 28, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2019

सं. 43 /2019- सीमाशुल्क (गै.टै.)

का.आ. 1974(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 2 की उपधारा (34) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनिहत में आवश्यक है, एतदद्वारा, निर्देश देता है कि नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की प्रत्येक अधिसूचना में उक्त सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तरीके से संशोधन किया जाएगा, यथा:-

सारणी

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या और दिनांक	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	44/2011-सीमाशुल्क (गै. टै.), दिनांक 6 जुलाई, 2011 [का.आ. 1541(अ), दिनांक 6 जुलाई, 2011 के तहत]	उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में, शब्द और अंक "धारा 17, धारा 28 और धारा 28 ककक", के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 17, धारा 28 और धारा 28 ककक और धारा 124 का दूसरा परंतुक" को प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
		उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 3 के समक्ष कॉलम (3) में, मद (xxxi) के बाद निम्नलिखित मद को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:- "(xxxi अ) धारा 124 का दूसरा परंतुक;".

[फ़ा. सं. 450/47/2019-सीमाशुल्क IV]

ज़ुबैर रियाज़, निदेशक (सीमाशुल्क)

2893 GI/2019 (1)

टिप्पणी:

- (i) प्रधान अधिसूचना संख्या 44/2011-सीमाशुल्क (गै. टै.), दिनांक 6 जुलाई, 2011 को का.आ. 1541(अ), दिनांक 6 जुलाई, 2011 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था।
- (ii) प्रधान अधिसूचना संख्या 40/2012-सीमाशुल्क (गै. टै.), दिनांक 2 मई, 2012 को का.आ. 993 (अ), दिनांक 2 मई, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2019

No. 43 /2019-Customs(N.T.)

S.O. 1974(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (34) of section 2 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below, shall be amended, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:—

TABLE

Sl. No.	Notification number and date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	44/2011-Customs (N.T.), dated the 6th July, 2011 [vide number S.O. 1541(E), dated the 6th July, 2011]	In the said notification, in the opening paragraph, for the words and figures "Section 17, Section 28 and Section 28AAA", the words and figures "section 17, section 28, section 28AAA and second proviso to Section 124" shall be substituted.
2.	40/2012-Customs (N.T.), dated the 2nd May, 2012 [vide number S.O. 993(E), dated the 2nd May, 2012]	In the said notification, in the Table, in the column (3) against serial number 3, after item (xxxi), the following item shall be inserted, namely:- "(xxxi a) second proviso to Section 124;".

[F. No. 450/47/2019-Cus.IV]

ZUBAIR RIAZ, Director (Customs)

Note:

- (i) The principal notification number 44/2011-Customs (N.T.), dated the 6th July, 2011 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1541 (E), dated the 6th July, 2011.
- (ii) The principal notification number 40/2012-Customs (N.T.), dated the 2nd May, 2012 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 993 (E), dated the 2nd May, 2012.